प्रेस विज्ञप्ति
15/06/2026

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का माननीय विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली द्वारा संज्ञान लिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 27.03.2026 को पुनीत गर्ग एवं सुश्री वैशाली माने के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था तथा वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जांच की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 एवं 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी संख्या RC0742025E0005 दिनांक 21.08.2025 के आधार पर की गई थी। तत्पश्चात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या RC0742026E0001, RC0742026E0002, RC0742026E0003 तथा RC0742026E0004 को भी इस प्रवर्तन मामला सूचना प्रतिवेदन (ईसीआईआर) में समाहित किया गया।

पुनीत गर्ग वर्ष 2006 से 2013 तक रिलायंस कम्युनिकेशंस में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे तथा इस अवधि में कंपनी के वैश्विक उद्यम व्यवसाय का दायित्व संभालते रहे। इसके पश्चात वर्ष 2014 से 2017 तक उन्होंने अध्यक्ष (विनियामक कार्य) के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात, अक्टूबर, 2017 में उन्हें कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद अप्रैल, 2019 से अप्रैल, 2025 तक उन्होंने गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह उजागर हुआ है कि पुनीत गर्ग वर्ष 2001 से 2025 तक रिलायंस कम्युनिकेशंस में विभिन्न वरिष्ठ प्रबंधकीय एवं निदेशक पदों पर रहते हुए उक्त बैंक धोखाधड़ी से अर्जित अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाव, परत-दर-परत लेन-देन के माध्यम से उसके स्रोत को छिपाने तथा उसके अपसारण में सक्रिय रूप से संलिप्त थे।

जांच में यह भी पाया गया कि अपराध की आय को रिलायंस कम्युनिकेशंस की विभिन्न विदेशी सहायक कंपनियों एवं विदेशी संस्थाओं के माध्यम से विपथित किया गया। अपराध की आय का उपयोग यूनाइटेड किंगडम के जर्सी क्षेत्राधिकार में स्थित एक कंपनी के स्वामित्व वाली 'टियान' नामक विलासितापूर्ण नौका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मैनहट्टन क्षेत्र में एक विलासितापूर्ण आवासीय संपत्ति के क्रय हेतु किया गया।

यह भी पाया गया कि रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान इन संपत्तियों का गुप्त एवं कपटपूर्ण तरीके से विक्रय कर दिया गया। विक्रय से प्राप्त धनराशि को वैध दावेदारों को लौटाने के स्थान पर अपसारित कर दिया गया।

माननीय विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली ने दिनांक 15.06.2026 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

मामले में आगे की जांच जारी है।